दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 06/2017

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोगेसिव स्कीम (ए.सी.पी.एस.) तथा संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोगेसिव स्कीम (एम.ए.सी.पी.) को क्रमशः दिनांक 09/08/1999 और 19/05/2009 के डी.ओ.पी.टी. आदेश द्वारा लागू किया गया।

सी.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत अपग्रेडेशन पर ए.सी.पी.एस. के अनुबंध–1 के पैरा सं.–9 के अनुसार, कर्मचारी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/97–पे–I, के अनुसार 100 रू. के न्यूनतम वित्तीय लाभ देते हुए एफ.आर. 22(1) (ए) (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत अनुमत वित्तीय लाभ अंतिम होगा तथा नियमित पदोन्नति अर्थात् उच्च ग्रेड पर प्रकार्यात्मक पद पर तैनाती के समय किसी प्रकार के वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, एम.ए.सी.पी.एस. के अनुबंध–1 के पैरा–4 के अनुसार, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएगा। इसलिए ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित किए जा रहे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तथापि, नियमित पदोन्नति होने के समय आगे किसी प्रकार का वेतन नियतन नहीं किया जाएगा यदि इसका ग्रेड वेतन वही है, जो एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत दिया है। तथापि, यदि वास्तविक पदोन्नति के समय एम.ए.सी.पी. में उपलब्ध ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन हो जाता है, तो किसी प्रकार का नियतन नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा।

यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में, या तो कार्मिक विभाग द्वारा या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा एफ.आर. 22(1)(क)(I) के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित पदोन्नति के समय वेतन वृद्धि की अनुमति फिर से दी गई जो ए.सी.पी.एस. एवं एम.ए.सी.पी.एस. के प्रावधानों के विपरीत है। ए.सी.पी. स्कीम/एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत अनुमत वित्तीय लाभ की अनुमति, नियमित पदोन्नति, अर्थात् उच्चतम ग्रेड में प्रकार्यात्मक पद पर तैनाती के समय नहीं दी जाती और कोई वेतन निर्धारण लाभ प्राप्त नहीं होगा।

उपरोक्त को देखते हुए, सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे मामलों की समीक्षा करें और ए.सी.पी.एस./एम.ए.सी.पी.एस. के तहत वित्तीय उन्नयन तथा नियमित पदोन्नति के समय डबल वेतन वृद्धि दिए गए मामलों में तत्काल रिकवरी की जाए।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ.ई. 98(2)/2008–09/डीडीए/एस.सी.पी.सी./पार्ट–I/206 दिनांक : 11.5.2017

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. प्रधान आयुक्त (कार्मिक),
2. आयुक्त कार्मिक,
3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में यह परिपत्र लाएं।
4. निदेशक (कार्मिक)– I, II/निदेशक (उद्यान)–उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व,
5. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (एच)/सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
6. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)
दि.वि.प्रा.